

२०२३/५९५

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाड़ा**  
(प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023 कैम्प १५/१५)

प्रकरण संख्या ५५२/२३

दिनांक ०१/०६/२०२३

उनवान

श्री रामेश्वर पुत्र मिश्री,  
अलोल पत्नी स्व. मिश्री जाति  
खाती सा. रोपां खातेदार

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार  
जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

—: आदेश :-

प्रार्थी के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का रोपां गा. भू.अ.नि. रोपां एवं तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट / अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम रोपां गा. प. ह. की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 के खाता संख्या 303, 390, में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति /ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है।
1	प्रार्थी की जाति एवं ग्राम का नाम	रामेश्वर पुत्र मिश्री, अलोल पत्नी स्व. मिश्री जाति आट सा. मंडाचर खातेदार	रामेश्वर पुत्र मिश्री, अलोल पत्नी स्व. मिश्री जाति खाती सा. रोपां खातेदार

*bu*  
उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :-

- तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करें।
- प्रार्थी रामेश्वर पुत्र मिश्री, अलोल पत्नी स्व. मिश्री जाति खाती सा. रोपां खातेदार
- रक्षित पत्रावली।

*ba*  
उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला भीलवाड़ा